संख्या-68/2019/405/71-3-2019-57/2018

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 09 अप्रैल, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत हृदय रोग संस्थान, कानपुर एवं जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर के वेतन एवं अन्य आवश्यक व्ययों के वहन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2019-20/02, दिनॉक 02-04-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष एवं पूॅजी लेखा पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय संस्थानों के वेतन आदि एवं आवश्यक व्ययों को वहन किए जाने हेतु उनके सम्मुख अंकित विवरणानुसार **कुल रू0 5824.63 लाख (रू0 अट्ठावन करोड़ चौबीस लाख तिरसठ हजार मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	राजकीय संस्थान का नाम	लेखाशीर्षक	मद	धनराशि (रू0 लाख में)
1	हृदय रोग संस्थान, कानपुर	2210-05-105-03-0344-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलोजिकल इंस्टीट्यूट	राजस्व पक्ष	4552.06
		4210-03-105-44-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलोजिकल इंस्टीट्यूट	पूॅजी लेखा पक्ष 25-लघु निर्माण कार्य	2.00
2	जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर	2210-05-105-05-0501-जे0के0 इन्स्टीटयूट आफ रेडियोलाजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	राजस्व पक्ष	1268.07
		4210-03-105-46- जे0के0 इन्स्टीटयूट आफ रेडियोलाजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	पूॅजी लेखा पक्ष 25-लघु निर्माण कार्य	2.50
			योग	5824.63

1. स्वीकृत धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
2. वित्त आय-व्यय के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22-03-2019 के प्रस्तर-2(3) में उल्लिखित प्राविधानुसार विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि यदि अवशेष है तो उसका समायोजन करने के उपरान्त ही उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्ही अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनॉक 22-03-2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनॉक 22 मार्च, 2019 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव।

संख्या:-68/2019/405(1)/71-3-2019 तद्यदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इंस्टीटयूट कानपुर एवं जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
5. वित्त नियंत्रक, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इंस्टीटयूट कानपुर एवं जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in